

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक-16/10/2017

संख्या-1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं० 155/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 11517, दिनांक 06.9.17 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं०-379A सह पठित ज्ञापांक-65745-760, दिनांक 18.9.17 के आलोक में श्री आनन्द कुमार सिंह-1, सब जज, समस्तीपुर को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, पटना में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*कामेश्वर प्रसाद*  
13/10/17  
(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं० 155/ पटना, दिनांक-16/10/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना/पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर/सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/सभी उप श्रमायुक्त, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*कामेश्वर प्रसाद*  
13/10/17  
सरकार के उप सचिव।